(क) क्या देश में पिछले कुछ समय में नक्सली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवाद से प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान नक्सली घटनाओं में कितने आम लोग, सुरक्षा बलों के जवान एवं नक्सली मारे गये हैं और कितनी सरकारी सम्पति को नुकसान हुआ है, और कितने लोगों को सरकारी मुआवजा दिया गया है; और

(घ): इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से किस प्रकार की सहायता दी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग): पिछले दो वर्षों के दौरान हिंसा की घटनाओं, मारे गए नागरिकों, मारे गए सुरक्षाकर्मियों तथा मारे गए नक्सलियों के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं। सरकारी सम्पत्ति की क्षति के ब्यौरे को पूर्णत: नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक अवसंरचना की क्षति के ब्यौरे को अनुलग्नक-II में दिया गया है।**

 **मुआवजे के संबंध में, भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर इ) योजना नक्सली हमले के कारण मारे गए नागरिकों के परिवार को 1 लाख रुपए का और मारे गए सुरक्षाकर्मियों के परिवार को 3 लाख रुपए का अनुग्रह भुगतान करती है। कार्रवाई में मारे गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदार को 15 लाख रूपए का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नक्सली हमले में मारे गए नागरिकों एवं सुरक्षाकर्मियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी नीतियां हैं। आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों/पीड़ितों के परिवार की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मृतक नागरिकों के आश्रितों को अथवा स्थायी रुप से अक्षमता के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।**

**(घ) ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ चूंकि राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में कार्रवाई प्राथमिकत: संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। केन्द्र सरकार का वामपंथी उग्रवाद से निपटने के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें यह, सी ए पी एफ की तैनाती, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों द्वारा शासन एवं क्षमता निर्माण में सुधार सहित कई मामलों पर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का यह विश्वास है कि परिष्कृत पुलिस कार्रवाई के संयोजन, केन्द्रीकृत विकासात्मक प्रयास और शासन में सुधार से लम्बे समय तक वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे।**

 अनुलग्नक**-I** के पृष्ठ 1 का 1

 राज्य सभा अता० प्र० सं० 22**54**

**राज्य-वार वामपंथी उग्रवादी हिंसा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| राज्य | 2010 | 2011 | 2012 (15 अप्रैल तक) |
| घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षाकर्मी | मारे गए नक्सली | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षाकर्मी | मारे गए नक्सली | घटनाएं | मारे गए नागरिक | मारे गए सुरक्षाकर्मी | मारे गए नक्सली |
| आन्ध्र प्रदेश | 100 | 24 | 0 | 13 | 54 | 9 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| बिहार | 307 | 72 | 25 | 5 | 316 | 60 | 3 | 14 | 70 | 10 | 0 | 3 |
| छत्तीसगढ़ | 625 | 171 | 172 | 83 | 465 | 124 | 80 | 34 | 103 | 10 | 12 | 3 |
| हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| झारखंड | 501 | 132 | 25 | 15 | 517 | 149 | 33 | 16 | 183 | 47 | 21 | 2 |
| कर्नाटक | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| केरल | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश  | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 94 | 35 | 10 | 3 | 109 | 44 | 10 | 3 | 21 | 7 | 13 | 1 |
| ओडिशा | 218 | 62 | 17 | 10 | 192 | 39 | 14 | 23 | 49 | 6 | 10 | 4 |
| उत्तर प्रदेश | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 350 | 223 | 35 | 42 | 90 | 39 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| असम | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **2213** | **720** | **285** | **172** | **1758** | **465** | **142** | **99** | **461** | **81** | **56** | **15** |

राज्य सभा अता० प्र० सं० 22**54**

 अनुलग्नक**-II** के पृष्ठ 1 का 1

**देशभर में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा आर्थिक निशाने की घटनाएं**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012 (15.04.2012 तक)** |
|  |  |  |  | **कुल** |  | **कुल** |  | **कुल** |
| **आर्थिक निशाना** | आन्ध्र प्रदेश | यूरेनियम खान | 0 | **24** | 0 | **18** | 0 (0) | **1 (6)** |
| एस्सार स्टील | 0 | 0 | 0 (0) |
| छत्तीसगढ़ | एनएमडीसी | 11 | 2  | 0 (1) |
|  | एस्सार पाइप लाईन | 1 | 0 | 0 (0) |
| बी आर ओ | 0 | 0 | 0 (0) |
| ग्रामीण सड़क निर्माण योजना | 3 | 4 | 1 (1) |
| ओडिशा | एस्सार पाइप लाईन | 1 | 2 | 0 (0) |
| ग्रामीण सड़क निर्माण योजना | 4 | 3  | 0 (2) |
| महाराष्ट्र | बी आर ओ | 1 | 1  | 0 (0) |
| मध्य प्रदेश | ग्रामीण सड़क निर्माण योजना | 1 |  0 | 0 (0) |
| बिहार | सीमेंट प्लांट | 0 | 0 | 0 (0) |
| सोलर प्लेट | 0 | 0 | 0 (0) |
| ग्रामीण सड़क निर्माण योजना | 1 | 2  | 0 (1) |
| झारखंड | ग्रामीण सड़क निर्माण योजना | 1 | 3 | 0 (0) |
| एस्सार पाइप लाईन | 0 | 1  | 0 (1) |
| **रेलवे** | आन्ध्र प्रदेश |  | 1 | **54** | 0  | **31** | 0 (0) | **3 (10)** |
| बिहार |  | 16 | 3  | 0 (1) |
| छत्तीसगढ़ |  | 8 | 11 | 3 (2) |
| झारखंड |  | 13 | 10  | 0 (4) |
| महाराष्ट्र |  | 0 | 0 | 0 (0) |
| ओडिशा |  | 7 | 7  | 0 (3) |
| पश्चिम बंगाल |  | 7 | 0  | 0 (0) |
| उत्तर प्रदेश |  | 2 | 0  | 0 (0) |
| **टेलीफोन एक्सचेंज****टॉवर** | आन्ध प्रदेश |  | 4 | **45** | 2  | **51** | 1 (0) | **13 (15)** |
| बिहार |  | 14 | 25 | 6 (10) |
| महाराष्ट्र |  | 1 | 2 | 0 (0) |
| छत्तीसगढ़ |  | 2 | 3  | 0 (1) |
| झारखंड |  | 6 | 8  | 0 (1) |
| ओडिशा |  | 17 |  11 |  5 (3) |
| पश्चिम बंगाल |  | 1 | 0 | 0 (0) |
| मध्य प्रदेश |  | - | - | 1(0) |
| **पावर प्लांट** | आन्ध्र प्रदेश |  | 1 | **3** | 0  | **0** | 0 (0) | **0 (0)** |
| छत्तीसगढ़ |  | 0 | 0 | 0 (0) |
| पश्चिम बंगाल |  | 1 | 0 | 0 (0) |
| महाराष्ट्र |  | 1 | 0 | 0 (0) |
| **खनन** | ओडिशा |  | 1 | **9** | 1 |  **6** | 0 (0) | **0 (5)** |
| झारखंड |  | 6 | 2  | 0 (2) |
| छत्तीसगढ़ |  | 0 | 3  | 0 (3) |
| आन्ध्र प्रदेश |  | 0 | 0 | 0 (0) |
| महाराष्ट्र |  | 1 | 0  | 0 (0) |
| पश्चिम बंगाल |  | 1 | 0 | 0 (0) |
| **पोल/****ट्रांसमिशन** | छत्तीसगढ़ |  | 1 | **2** | 3 | **3** | 0 (2) | **0 (2)** |
|  |  |  |  |  |
| ओडिशा |  | 0 | 0 | 0 (0) |
| झारखंड |  | 1 | 0  | 0 (0) |
| **पंचायत भवन** | छत्तीसगढ़ |  | 3 | **31** | 0  | **10** | 0 (0) | **1 (3)** |
| झारखंड |  | 4 | 0 | 0 (0) |
| आन्ध्र प्रदेश |  | 0 | 0 | 0 (0) |
| महाराष्ट्र |  | 6 | 6 | 0 (0) |
| बिहार |  | 0 | 1 | 0 (1) |
| ओडिशा |  | 11 | 1  | 1 (0) |
| पश्चिम बंगाल |  | 7 | 2  | 0 (2) |
| **स्कूल भवन** | छत्तीसगढ़ |  | 13 | **39** | 2  | **27** | 2 (0) | **2 (9)** |
| आन्ध्र प्रदेश |  | 1 | 0  | 0 (0) |
| झारखंड |  | 7 | 6  | 0 (1) |
| बिहार |  | 10 | 18 |  0 (8) |
| महाराष्ट्र |  | 0 | 0 |  0 (0) |
| ओडिशा |  | 8 | 1 |  0 (0) |
| **वन सड़क, पुलिया इत्यादि.** |  |  | 158 | **158** | 147 | **147** | 55 (56) | **55 (56)** |
|  | **कुल** |  | **365** | **365** | **293** | **293** | **75 (106)** | **75 (106)** |

**\* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2011 की तदनरूप अवधि के हैं।**